25/6/18 [illegible] PW। [illegible]

उपखण्ड अधि[illegible] एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible]पुरा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 13/2017/वाद पत्र	तारीख दायर 13.02.2017	तारीख फैसला 25.06.2018

उनवान

1– मंजूदेवी बेवा बाबूलाल वैष्णव नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2–4 चन्दन, मनोज, मु0 आशा पिता बाबूलाल वैष्णव नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
– वादीगण

बनाम

1– बदाम बेवा राधेश्याम वैष्णव नि0 नजर बाग महलों के पीछे शाहपुरा
2– नारायण पुत्र राधेश्याम वैष्णव नि0 सरेरी बांध तह0 हुरड़ा
3– महावीर पुत्र राधेश्याम वैष्णव नि0 नजर बाग महलों के पीछे, शाहपुरा
4– समता पुत्री राधेश्याम वैष्णव पत्नि ओमप्रकाश वैष्णव नि0 सरेरी बांध तह0 हुरड़ा
5– लाड बेवा कृपाराम वैष्णव नि0 जीरा हथेड़िया तह0 जहाजपुर
6–8 पप्पू, गणेश, मु0 सरजू पिता कृपाराम वैष्णव नि0 जीरा हथेड़िया तह0 ज्हाजपुर
9–11 देवेन्द्र, जितेन्द्र, मु0 लीला पिता चम्पकलाल वैष्णव नि0 डी– 6 राधिक बैंग्लो, शालीन स्कूल के सामने सायन नगर रोड़ नरौड़ा, अहमदावाद (गुजरात)
12– रतनदेवी बेवा बालाराम वैष्णव नि0 दर्जियों के मन्दिर के पास शाहपुरा
13–15 पवन, मु0 जसोदा, कमलेश पिता बालाराम वैष्णव नि0 दर्जियों के मन्दिर के पास शाहपुरा
16– तहसीलदार, शाहपुरा
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– कस्बा शाहपुरा मे वादिया संख्या 01 के ससुर एवं शेष के दादा बोलताराम पिता भूरदास बैरागी के खाते की कृषि भूमि आ0न0 6190 रकबा 0.20 है0, आ0न0 6196 रकबा 0.27 है0 कुल किता 02 रकबा 0.47 है0 स्थित है। बोलताराम जी की मृत्यु हो चुकी है। बोलताराम जी के 04 पुत्र राधेश्याम, कृपाराम, बालाराम एवं बाबूलाल का निधन हो चुका है। दो पुत्रियॉं मु0 दामोदर एवं शारदा थी। बालाराम के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण नं0 12 लगायत 15 है जिनका नाम भी राजस्व रेकार्ड मे जोड़ा जाना आवश्यक है। इस प्रकार वादीगणों का 1/6 हिस्सा बाबूलाल के उत्तराधिकारी होने के कारण राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होना चाहिये था जो दर्ज नही किया गया है। जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। जमाबन्दी संवत 2056 से 59 मे इन्तकाल संख्या 720 दिनांक 31.07.2003 दर्ज है। जिसमे बोलताराम की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण का नाम खाते मे दर्ज किया गया जबकि वादी संख्या 01 के पति एवं शेष के पिता

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

बाबूलाल भी बोलताराम के पुत्र थे उसके बावजूद बाबूलाल के उत्तराधिकारी वादीगणों का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही किया गया। इसलिए राजस्व रेकार्ड मे सहखातेदार के रूप मे दर्ज कराने के लिये उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि को बेचने पर आमादा है जबकि वादीगण का भी हक हिस्सा निहित है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि के किसी भी हिस्से को हस्तान्तरित नही करे तथा विक्रय एवं रहन आदि नही करे। अतः वादीगण को वाद पत्र के चरण संख्या 01 की कृषि भूमि के सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड मे वादीगणों का नाम जोडने जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रतिवादीगणों के विरू, स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वाद के पेरा नं0 1 मे वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भाग को विक्रय, रहन आदि नही करे तथा किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे।

प्रकरण पंजीवद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.04.2017 को प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 व 9 लगायत 16 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 22.11.2017 को प्रतिवादीगण 5, 6, 7 व 8, 9, 10, 11 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के निहित किया गया। दिनांक 06.02.2018 को पेरोकार सरकार उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करते हुए उनका जवाब दावा बन्द किया गया। प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 25.06.2018 को वादी नं0 1 मंजूदेवी का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत 2060 से 63 खाता संख्या 1345 आ0न0 6190 रकबा 0.20 है0, 6196 रकबा 0.27 है0 कुल किता 02 रकबा 0.47 है0 बोलताराम पिता भूरदास बैरागी सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड होकर नामान्तरकरण संख्या 720 दिनांक 31.07.2003 विरासत से बोलताराम के स्थान पर मूलीबाई बेवा बोलताराम, राधेश्याम, बालूराम, दामोदरबाई, शारदा बाई पिता बोलताराम, मु0 लाडदेवी बेवा कृपाराम, पप्पू,गणेश सरजू पिता कृपाराम का नाम दर्ज की स्वीकृति का इन्द्राज है। इसी अनुरूप वर्तमान जमाबन्दी संवत 2064 से 67 मे इन्द्राज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बोलताराम के 4 पुत्र राधेश्याम, कृपाराम, बालाराम, बाबूलाल एवं दो पुत्रियॉ मु0 दामोदार, मु0 शारदा थी। विरासत के आधार पर इन्तकाल खोलते समय बाबूलाल का नाम इन्द्राज नही किया गया जबकि बाबूलाल भी बोलताराम का पुत्र होकर 1/6 हिस्से का उत्तराधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टि0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

को इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित जमाबन्दी संवत 2064 से 67 खाता संख्या 1770 आ0न0 6190 रकबा 0.20 है0, आ0न0 6196 रकबा 0.27 है0, कुल किता 02 रकबा 0.47 है0 मे वादीगणो को प्रतिवादीगण के साथ हि0ब0 के सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

1– मंजूदेवी बेवा बाबूलाल वैष्णव नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2–4 चन्दन, मनोज, मु0 आशा पिता बाबूलाल वैष्णव नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा

– वादीगण

बनाम

1– बदाम बेवा राधेश्याम वैष्णव नि0 नजर बाग महलों के पीछे शाहपुरा
2– नारायण पुत्र राधेश्याम वैष्णव नि0 सरेरी बांध तह0 हुरडा
3– महावीर पुत्र राधेश्याम वैष्णव नि0 नजर बाग महलों के पीछे, शाहपुरा
4– समता पुत्री राधेश्याम वैष्णव पत्नि ओमप्रकाश वैष्णव नि0 सरेरी बांध तह0 हुरडा
5– लाड बेवा कृपाराम वैष्णव नि0 जीरा हथेड़िया तह0 जहाजपुर
6–8 पप्पू, गणेश, मु0 सरजू पिता कृपाराम वैष्णव नि0 जीरा हथेड़िया तह0 जहाजपुर
9–11 देवेन्द्र, जितेन्द्र, मु0 लीला पिता चम्पकलाल वैष्णव नि0 डी– 6 राधिक बैंग्लो, शालीन स्कूल के सामने सायन नगर रोड नरोड़ा, अहमदाबाद (गुजरात)
12– रतनदेवी बेवा बालाराम वैष्णव नि0 दर्जियों के मन्दिर के पास शाहपुरा
13–15 पवन, मु0 जसोदा, कमलेश पिता बालाराम वैष्णव नि0 दर्जियों के मन्दिर के पास शाहपुरा
16– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टि0ए0
मुकदमा नम्बर 13 सन् 2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण को इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित जमाबन्दी संवत 2064 से 67 खाता संख्या 1770 आ0न0 6190 रकबा 0.20 है0, आ0न0 6196 रकबा 0.27 है0, कुल किता 02 रकबा 0.47 है0 मे वादीगणो को प्रतिवादीगण के साथ हि0व0 के सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 06 सन् 2018 से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner